संख्या–323 /XXVII(7)/19–50(07)/2019

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादून : दिनांक:20 सितम्बर, 2019

विषयः–छोटे कार्यों (पेटी वर्क्स), लघु कार्यों (माइनर वर्क्स) तथा वृहत कार्य (मेजर वर्क्स) की लागत सीमा में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–88/XXVII (3)/कार्य/2005 दिनांक 24 फरवरी, 2005 की आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआं है कि इमारती सामान, मजदूरी, निर्माण सामग्री आदि के मूल्यों में हुई वृद्धि के दृष्टिगत छोटे कार्यों (पेटी वर्क्स), लघु कार्यों (माइनर वर्क्स) तथा वृहत कार्यों (मेजर वर्क्स) की वर्तमान सीमा को निम्नानुसार संशोधित/परिवर्धित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र.सं.	कार्य की प्रकृति	वित्तीय सीमाऐं
1	2	3
1.	छोटे कार्य (पेटी वर्क्स)	जिनकी लागत रू0 5.00 लाख से अधिक न हो।
2.	लघु कार्य (माइनर वर्क्स)	जिनकी लागत रू0 5.00 लाख से अधिक किन्तु रू0 20.00 लाख से अधिक न हो।
3.	वृहत कार्य (मेजर वर्क्स)	जिनकी लागत रू0 20.00 लाख से अधिक हो।

2. रू0 5.00 लाख से ऊपर तथा रू0 20.00 लाख तक की लागत के लघु कार्यों (माइनर वर्क्स) का निष्पादन उत्तराखण्ड शासन द्वारा नामित कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से कराया जायेगा।

3. वृहद निर्माण कार्य (मेजर वर्क्स) के आगणन सुसंगत दरों पर गठित कर यथानियम/यथाप्रकिया सक्षम स्तर की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जायेंगे।

4. छोटे कार्य (पेटी वर्क्स) व लघु कार्य (माइनर वर्क्स) वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन), 2018 (समय–समय पर यथासंशोधित) में निहित वित्तीय अधिकारों के अन्तर्गत कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा बजटीय सीमा के अधीन रहते हुए वित्तीय नियमों का पालन करते हुये सम्पन्न किये जायेंगे।

5. वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन (वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–1), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 तथा खण्ड–6 के सुसंगत नियमों में उक्तानुसार संशोधन यथासमय कर लिया जायेगा।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः — (1)/XXVII(7) 19–50(07)/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, महोलेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, विभागीय लेखा/कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
4. निदेशक, आडिट विभाग, उत्तराखण्ड।
5. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)

सचिव।